राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

<u>अपील संख्या</u> <u>2113/2011/सिरोही</u>

श्री वर्द्धमान पेट्रोलियम,
आमथला, आबूरोड। ....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वाणिज्यिक कर विभाग, वृत सिरोही। ....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर.आर.सिंघवी, अभिभाषक। ....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक। ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :05.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 24.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत सिरोही (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29, 58, 61 व 65 सपठित सीएसटी की धारा 9 के अन्तर्गत पारित आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी Deemex, Oct. 001, थिनर आदि इण्डस्ट्रीयल एवं पैटोकेमीकल का क्रेता एवं विक्रेता है। व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल भारित वाहन संख्या आरजे–24/जी–0667 को दिनांक 15.02.2003 को चैक करने पर पाया कि उसके द्वारा अन्तर्राज्यीय विक्रय किये गये व्यवसायीयों में से कुछ फर्मो द्वारा अपीलार्थी फर्म के साथ किसी भी खरीद बिक्री संव्यवहार से इन्कार किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 08.03.2010 द्वारा व्यवहारी की करापवंचना की नियत मानते हुए कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया, जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील में विस्तृत निर्णय पारित करते हुए अपीलीय अधिकारी ने निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को अपने आदेश दिनांक 24.06.2011 द्वारा प्रतिप्रेषित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष अपील पेश की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24.06.2011 को प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रतिप्रेषित किये जाने की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 01.07.2013 द्वारा प्रकरण में विस्तृत आदेश पारित करते हुए मांग सृजित कर ली है, जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत यह अपील निष्प्रभावी होने के कारण सारहीन हो जाती है।

लगातार.............2

6. प्रकरण में उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को उचित बतलाते हुए व्यवहारी की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

7. रिकॉर्ड का परिशीलन से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत अपील को अपने आदेश दिनांक 24.06.2011 द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन अपने आदेश दिनांक 01.07.2013 को कर दिया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, जिसका संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है :–**

> "In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

8. उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.) से भी मेल खाते है। राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णय तथा उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में दिनांक **01.07.2013** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील ''सारहीन'' हो गयी है ।

परिणामतः अपील ''सारहीन'' होने के कारण खारिज की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

5.6.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष